

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—सुश्री नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—56/2019 (2019/00157) वादपत्र

अनवान

1. जीवनराम पिता केसुराम बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. देवा पिता गोकल बलाई निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. मांगु पिता हेमा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भीमा पिता हेमा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सोहन पिता हेमा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गंगाराम पिता हेमा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. चन्द्री पुत्री हेमा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मगदु पुत्री हेमा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. गोवर्धन पिता केशा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. लादु पिता केशा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सरजु पुत्री केशा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. सायरी पुत्री केशा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. पानी पुत्री केशा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. जीवनराम पिता केशा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. डाली पुत्री केशा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. शंकर पिता भुरा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. देवा पिता नन्दा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. सोहनलाल पिता कालु बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. नेना पिता हीरा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. खेमा पिता पेमा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. सायरी पुत्री हेमा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20. कंकु पुत्री बेणा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21. भगवानी पुत्री बेणा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22. सोहन पिता कालु बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23. शंकर पिता लेहरू बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
24. माधु पिता लेहरू बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
25. लादी पुत्री लेहरू बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
26. मांगु पिता हेमा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
27. गोपी पिता रामा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
28. वरदा पिता गोकल बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
29. भैरूलाल पिता छोगा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
30. देउ पुत्री छोगा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
31. पारसी पुत्री छोगा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
32. टीना पुत्री छोगा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
33. लादी पुत्री छोगा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
34. अणछी बेवा छोगा बैरवा निवासी लड़की, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
35. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा



Handwritten signature in blue ink.



प्रतिवादीगण

6/4/24 13/10/19
21/10/19

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. जाकिर हुसैन -

निर्णय

अधिवक्ता वादीगण


दिनांक 27.06.2023

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 31.03.2022 के द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है ग्राम लड़की पटवार हल्का पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 34 के संयुक्त खातेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 154 में अकिंत आराजी संख्या 503 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 504 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 508 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 509 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 510 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 511 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 512 रकबा 0.40 है0, आराजी संख्या 513 रकबा 0.03 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.65 है0 भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का कब्जे में ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 29.05.2023 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम लड़की पटवार हल्का पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में खाता संख्या 164 में प्रस्तावित आराजी संख्या 510 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 511 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 509/1 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 513 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 508/1 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 512/1 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 504/1 रकबा 0.01 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.37 है0 भूमि जीवनराम पुत्र केशुराम 10/37 बैरवा, देवा पुत्र गोकल बलाई 27/37 सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 503 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 504/2 रकबा 0.55 है0, आराजी संख्या 508/2 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 512/2 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 509/2 रकबा 0.02 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.28 है0 भूमि अण्छी पत्नि छोगा 459/12800, कंकुदेवी पुत्री बेणा 306/12800,



(Handwritten signature)

28/6/23

21/6/23

ख्यालीलाल पुत्र खेमा 51/12800, गंगाराम पुत्र हेमा 255/12800, गणी पुत्री गोपी 153/12800, गोर्धन पुत्री केशी 44/12800, टीना पुत्री छोगा 459/12800, डाली पुत्री केशा 44/12800, देउ पुत्री छोगा 459/12800, देवली पुत्री गोपी 153/12800, देवा पुत्र नन्दा 306/12800, नेना पुत्र हीरा 612/12800, नर्बदा पुत्री खेमा 51/12800, नारायणी पुत्री गोपी 153/12800, प्रेमी पत्नि गोपी 153/12800, पानी पुत्री केशा 44/12800, पारसी पुत्री छोगा 459/12800, बरदा पुत्र गोकल 2750/12800, भगवानी पुत्री नेना 306/12800, भैरूलाल पुत्र छोगा 459/12800, मुकेश पुत्र खेमा 51/12800, मंजु पुत्री खेमा 51/12800, मांगु पुत्र हेमा 255/12800, मांगु पुत्र रामा 611/12800, माधु पुत्र लेहरू 204/12800, रूकमण पत्नि भीमा 76/12800, लादू पुत्र केशा 44/12800, लादी पुत्री लेहरू 204/12800, लादी पुत्री खेमा 51/12800, लादी पुत्री छोगा 459/12800, विष्णु पुत्री खेमा 51/12800, शंकर पुत्र लेहरू 204/12800, शंकर पुत्र भीमा 76/12800, शंकर पुत्र भुरा 306/12800, सरजू पुत्री केशा 44/12800, सायरी पुत्री केशा 44/12800, सायरी पुत्री पेमा 306/12800, सोहन पुत्र कालु 1833/12800, सोहन पुत्र हेमा 254/12800 सर्व जाति बैरवा सा. देह खातेदार के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नेहा खीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
सहायक कलक्टर, जिला भीलवाड़ा